

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थी
स्व. वरदा पुत्र लखा के का. मु.
मूलाराम पुत्र वरदा जाति मेघवाल
निवासी मोरखा तहसील देसूरी जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण
भोपालसिंह पुत्र जोरसिंह जाति राजपूत
निवासी मोरखा तहसील देसूरी जिला पाली
वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व विविध प्रकरण GCMS No. 2025/69

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा आदेश 9 नियम 4 सीपीसी

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
5/2/25	<p>वकील प्रार्थी श्री नीलम शर्मा उपस्थित। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 4 सीपीसी पेश कर प्रकरण संख्या जीसीएमएस नंबर 2023/308 बअनवान स्व. वरदा के का.मु. मूलाराम बनाम भोपालसिंह वगैरा दिनांक 24.06.2024 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज प्रकरण को रैस्टोर (पुनः बरामद) करने का निवेदन किया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी को सुनने के पश्चात प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 4 सीपीसी रवीकार किया जाकर प्रकरण संख्या जीसीएमएस नंबर 2023/308 बअनवान स्व. वरदा के का.मु. मूलाराम बनाम भोपालसिंह वगैरा में न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.06.2024 को अपास्त कर प्रकरण को रैस्टोर (पुनः बरामद) कर पुनः नये नंबर पर दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली निर्णीत शुमार होकर पूर्व निर्णीत पत्रावली के संलग्न हो।</p>	



सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी बाली
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली